प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैरइरादतन हत्या के अभियोग में अभियुक्त को 07 वर्ष कठोर कारावास व 15,000/- रूपए अर्थदंड की सजा

दिनांकः 24.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में दिनांक 24.09.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 07 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना हरगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं0 42/15 धारा 304/324 भादवि तथा मु0अ0सं0 46/15 धारा 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट बनाम इन्द्रपाल यादव पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम दनियालपुर थाना हरगांव जनपद सीतापुर में हरगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 24.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04 सीतापुर द्वारा अभियुक्त इन्द्रपाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304 भादवि में 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा अन्तर्गत धारा 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....